R.J.S.

कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांकः- 342/सी/प्र०नि०/18. **दिनांकः-** 6-3-18

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री रवि कुमार अग्रवाल,
29/03, राजामण्डी,
आगरा।

विषयः-सम्पत्ति संख्या-29/3 राजा की मण्डी, आगरा पर किये गये निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सम्पत्ति संख्या-29/3 राजा की मण्डी, आगरा पर भारत सिनेमा बिल्डिंग पर स्वीकृत मानचित्र संख्या-110/बी.एफ.एल/06/14-15 दिनांक 09.01.2015 के विपरीत किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत शमन आवेदन दिनांक 26.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 23.02.2018 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आपके द्वारा शमन धनराशि रू 19,75,100.00 (रूपये उन्नीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ मात्र) एवं लेबर सैस धनराशि रू 6,47,130.00 (छः लाख सैंतालीस हजार एक सौ तीस मात्र) दिनांक 26.02.2018 को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आ०वि०प्रा० आगरा में जमा किये जाने के उपरान्त निम्न लिखित शर्तो के साथ शमन मानचित्र निर्मत किये जाते है।

1. भवन अध्यासन से पूर्व आगरा विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुलपालन नहीं होने की दशा में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
2. अग्निशमन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में बेसमेंट में स्टोर प्रदर्शित किया गया है जबकि मौके पर दुकानों का निर्माण किया गया है। पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन करते समय मानचित्र पर बेसमेंट में दुकानों को प्रदिशित करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3. पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत होने के बाद आवश्यक विधिक औपचारिकतायें पूर्ण करांते हुए कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (मनोरंजन कर अनुभाग), आगरा से सिनेमा लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद ही सिनेमा का संचालन किया जा सकेगा। प्राप्त लाइसेंन्स की एक प्रति पत्रावली में रिकार्ड हेतु प्राधिकरण में जमा करनी होगी।
4. शमन आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्रों की सभी धराओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होमा शपथ पत्रों की किसी भी धारा के उलंघन की स्थिति में जारी शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
5. बेसमेंट के लिए पर्याप्त मैकेनिकल वेन्टीलेशन का प्रावधान करना होगा।
6. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।
7. भू-स्वामित्व सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। विपरीत परिस्थितियों में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

R.J.S.

8. शमननित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानको, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य दोष के कारण यदि भवन अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटनाओं की समस्त क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायीं होगा।
9. शमनित में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
10. स्वीकृत मानचित्र संख्या–110/बी.एफ.एल./06/14–15 दिनांक 09.01.15 की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा। किसी भी शर्त या शर्त के किसी भी भाग का उल्लंघन होने की दशा में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक– शमन मानचित्रों की एक–एक प्रति।

भवदीय,

8/3/18

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)